

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Jr. Div.) / Munsif, LAKHISARAI

Present : Swati Singh, Civil Judge (Jr. Div.)/ Munsif, Lakhisarai

Baby Devi

v/s

T. S. 56/2022

Sunita Devi & Others

| Sr. No. | Dated | Order with initials of the Civil Judge (Jr. Div.) | Remarks |
|-------------|-------|--|---------|
| 13/01/ 2025 | | <p>वादी की पैरवी है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। वाद आज वादी द्वारा दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 22, नियम 04 सी०पी०सी०, दिनांक 02.09.2024 की सुनवाई तथा आदेश हेतु लंबित है।</p> <p>वाद पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुए। वादी द्वारा दाखिल उक्त आवेदन पर दिनांक 20.09.2024 को प्रतिवादी सं० 02 द्वारा कोई आपत्ति नहीं हैं ऐसा दर्ज करते हुए अपनी अनापत्ति आवेदन पर ही हस्ताक्षरित की है। वादी तथा प्रतिवादी पक्ष को दिनांक 29.11.2024 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन की सुनवाई हेतु चेताया गया था कि किसी के सुनवाई हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में आवेदन तथा उसमें वर्णित तथ्यों व अभिलेख पर उपस्थित तथ्यों के अनुसार ही अगली तिथि को यथोचित आदेश पारित कर दिया जायेगा। इस आलोक में वादी के आवेदन दिनांक 02.09.2024 में लिखित कथन है कि प्रतिवादी सं० 01 कुसुम देवी, जौजे स्व० धनेश्वर साव की मृत्यु दिनांक 10.06.2024 को हो गई है। यह अपने पीछे वारिसान को छोड़ गई हैं जिनका वर्णन आवेदन की कंडिका 02 में क्रमशः क, ख, ग, घ, ड. में है तथा उनकी पुत्री बेबी देवी पहले से ही इस वाद में वादीनी है। कंडिका 05 में निवेदन करते हैं कि प्रतिवादी सं० 01 के नाम के स्थान पर उनके वारिसानों क्रमशः 1. (क) सुशान्तो साव, 1. (ख) सुबोध कुमार, दोनों पिता-स्व० धनेश्वर साव, 1. (ग) मुन्नी देवी, जौजे-कुट्टी साव, पेसर स्व० धनेश्वर साव, सभी साकिनान-मुकाम D.E-187, Narayan Tola, East Rajarhat, Gopalpur(m), North-24 Parganas, Aswini Nagar, West Bengal-700159-700159, 1. (घ) लीला देवी, जौजे-प्रेम कुमार वर्मा, पेसर, स्व० धनेश्वर साव, साकिन व पो० व० थाना तेतरहाट को छोड़ गए हैं जिनके नाम मृत प्रतिवादी सं०-01 की जगह जोड़ने की आवश्यकता है।</p> <p>अभिलेख तथा आवेदन का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं०-01 की मृत्यु के पश्चात् वे पांच वारिसानों (आवेदन में वर्णित) को छोड़ गए हैं, जिनमें से एक वारिसान स्वयं वादीनी बेबी देवी है। शेष चार वारिसानों का नाम जोड़ना उचित प्रतीत होता है साथ ही अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी का उक्त आवेदन समय सीमा के अनुकूल दाखिल किया गया है तथा शपथ पत्र से युक्त है।</p> | |

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Jr. Div.) / Munsif, LAKHISARAI

Present : Swati Singh, Civil Judge (Jr. Div.)/ Munsif, Lakhisarai

Baby Devi

v/s

T. S. 56/2022

Sunita Devi & Others

| Sr. No. | Dated | Order with initials of the Civil Judge (Jr. Div.) | Remarks |
|------------|-------|--|---------|
| | | <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए वादी का आवेदन दिनांक-02.09.2024 U/O-22 R-4 CPC को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि मृत प्रतिवादी सं0-01 का नाम वाद पत्र में विलोपित करते हुए उनके वारिसानों (आवेदनानुसार) का नाम विधिक परिसीमा के भीतर प्रविष्ट करे साथ ही वाद सम्मन की अपेक्षितार्ये दाखिल करें।</p> <p>वाद दिनांक सम्मन की अपेक्षितार्ये दाखिलार्थ।</p> <p>वास्ते उपस्थिति तथा</p> <p>Dictated (Swati Singh) Civil Judge (Jr. Div.) / Munsif, Lakhisarai</p> | |